

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरु
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा
477/2018

किस्म मुकदमा
दावा 53, RTA

ता० दायरा
27.09.2018

निर्णय तिथि
27.01.2023

1. लिछमण राम पुत्र डालु
2. विद्या पुत्री डालु
3. हीराराम पुत्र डालु

जाति धाणक निवासीगण ग्राम दूधवा मीठा
तहसील व जिला चूरु राजस्थान

—वादीगण—

बनाम

1. चानणमल पुत्र जैसाराम
2. महेन्द्र कुमार पुत्र जैसाराम
3. सुमन पुत्री जैसाराम
4. सीता पुत्री जैसाराम
5. ताराचन्द पुत्र मोहनराम
6. मुरती पुत्री मोहनराम
7. मूलकी पुत्री मोहनराम
8. संतरा पुत्री मोहनराम
9. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा स्टेशन रोड चूरु तहसील व जिला चूरु राजस्थान।
10. शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा बीनासर तहसील व जिला चूरु राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु (राज)

जाति धाणक निवासीगण ग्राम दूधवा मीठा
तहसील व जिला चूरु (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण—

दावा कृषि भूमि विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.


उपस्थित -

1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित

निर्णय

तहसीलदार चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में वादी के अतिरिक्त अन्य खातेदारों को मौके पर उपस्थित नहीं आये। दावा वादी स्वीकार किया जाता है। वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. नम्बर 215, 218, 257, 394, 395 तादादी क्रमशः 2.0866, 3.2374, 2.0234, 2.7822, 5.9564 हैक्टेयर, कुल तादादी 16.0860 हैक्टेयर रोही ग्राम दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरु वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें से वादीगण $1/2$ ($1/6+1/6+1/6 = 1/2$) हिस्से की वादी की एवं शेष $1/2$ हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्सेदारी खातेदार है। जिसमें




उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वादीगण 1 से 3 व प्रतिवादीगण 1 ता 8 व प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसों के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर रोही ग्राम दूधवा मीठा	तादादी हैक्टैयर
1	1. लिछमण राम पुत्र डालु जाति धाणक निवासी दूधमा मीठा 2. विद्यादेवी पुत्री डालु जाति धाणक निवासी दूधमा मीठा 3. हीराराम पुत्र डालु जाति धाणक निवासी दूधमा मीठा	395, 215, 257, 394 1.1508है.+2.0866है.+2. 0234है.+2.7822है.	कुल तादादी 8.043 हैक्टैयर
	1. चानणमल पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/20 2. तारमणी पत्नी महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/60 3. पंकज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/60 4. नवीन कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/60 5. सुमन पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/20 6. सीता पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/20 7. ताराचन्द पुत्र मोहनराम हिस्सा 1/5 8. मुरती पुत्री मोहनराम हिस्सा 1/5 9. मूलकी पुत्री मोहनराम हिस्सा 1/5 10. संतरा पुत्री मोहनराम हिस्सा 1/5	जाति धाणक निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरु	218 व 395 तादादी क्रमशः 3.2374है.+4.8056 हैक्टैयर किता 02 8 .043 है.

तहसीलदार चूरु को निर्देशित किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो बाद जांच निर्णय व डिक्री व संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्-पृथक् कायम करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उगमसिंह राजपूरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,
चूरु

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरु

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. लिछमण राम पुत्र डालु | } | जाति धाणक निवासीगण ग्राम दूधवा मीठा |
| 2. विद्या पुत्री डालु | | तहसील व जिला चूरु राजस्थान |
| 3. हीराराम पुत्र डालु | | |

—वादीगण—

बनाम

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1. चानणमल पुत्र जैसाराम | } | जाति धाणक निवासीगण ग्राम दूधवा मीठा |
| 2. महेन्द्र कुमार पुत्र जैसाराम | | तहसील व जिला चूरु (राजस्थान) |
| 3. सुमन पुत्री जैसाराम | | |
| 4. सीता पुत्री जैसाराम | | |
| 5. ताराचन्द पुत्र मोहनराम | | |
| 6. मुरती पुत्री मोहनराम | | |
| 7. मूलकी पुत्री मोहनराम | | |
| 8. संतरा पुत्री मोहनराम | | |
| 9. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा स्टेशन रोड चूरु तहसील व जिला चूरु राजस्थान। | | |
| 10. शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा बीनासर तहसील व जिला चूरु राजस्थान। | | |
| 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु (राज) | | |

—प्रतिवादीगण—



—दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 477 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई व पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—


उपखण्ड अधिकारी
चूरु

दावा वादी स्वीकार किया जाता है वादगत कृषि भूमि कृषि भूमि खेत ख.नं. नम्बर 215, 218, 257, 394, 395 तादादी क्रमशः 2.0866, 3.2374, 2.0234, 2.7822, 5.9564 हैक्टेयर, कुल तादादी 16.0860 हैक्टेयर रोही ग्राम दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरु वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमे से वादीगण 1/2 (1/6+1/6+1/6 = 1/2) हिस्से की वादी की एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्सेदारी खातेदारी का है। | जिसमें वादीगण 1 से 3 व प्रतिवादीगण 1 ता 8 व प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान के मध्य के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय पिता/पति का नाम	खसरा नम्बर रोही ग्राम दूधवा मीठा	तादादी हैक्टेयर
1	1. लिछमण राम पुत्र डालु जाति धाणक निवासी दूधवा मीठा हिस्सा 1/3 2. विद्यादेवी पुत्री डालु जाति धाणक निवासी दूधवा मीठा हिस्सा 1/3 3. हीराराम पुत्र डालु जाति धाणक निवासी दूधवा मीठा हिस्सा 1/3	395, 215, 257, 394 1.1508है.+2.0866है.+2.0234है.+2.7822है.	
		कुल किता 04	कुल तादादी 8.043 हैक्टेयर
	1. चानणमल पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/20 2. तारमणी पत्नी महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/60 3. पंकज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/60 4. नवीन कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/60 5. सुमन पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/20 6. सीता पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/20 7. ताराचन्द्र पुत्र मोहनराम हिस्सा 1/5 8. मुरती पुत्री मोहनराम हिस्सा 1/5 9. मूलकी पुत्री मोहनराम हिस्सा 1/5 10. सतरा पुत्री मोहनराम हिस्सा 1/5	जाति धाणक निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरु	218 व 395 तादादी क्रमशः 3.2374है.+4.8056 हैक्टेयर
			किता 02

तहसीलदार चूरु को निर्देशित किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो बाद जांच निर्णय, डिक्री व संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्-पृथक् कायम करें

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 माह जनवरी सन् 2023 को जारी की गई।



(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कूलक्टर,
चूरु